



भारतीय वैश्विक परिषद

वर्ष 2022-2023
के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

भारतीय वैश्विक परिषद् 31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के रसीदें और भुगतान लेखा	1
31.03.2023 को तुलन पत्र की स्थिति	3
31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखा	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	15

(1)

भारतीय वैश्विक परिषद

01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए रसीदें और भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			I. खर्च		
(क) हाथ में नकदी	-	-	(क) स्थापना व्यय		
			वेतन, भविष्य निधि, आदि।	1,81,34,127	1,69,30,292
(ख) बैंक शेष			बोनस	1,24,344	1,30,101
i) भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाते में	1,01,676	3,61,01,793	येच्युटी व्यय	9,74,077	36,512
ii) भारतीय स्टेट बैंक जमा खाते में	3,60,00,000	-	पेंशन निधि में परिषद का योगदान	2,52,348	2,55,000
iii) भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाते में	65,57,331	-	कर्मचारी कल्याण व्यय	59,000	60,739
(ग) अन्य			प्रशासन एवं निरीक्षण शुल्कआरपीएफसी-	51,122	51,086
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	12,52,826	9,77,979
डिस्पेंसर के साथ डाक अग्रदाय		-	कर्मचारी समूह बीमा	-	-
			एलटीसी व्यय	3,31,812	64,727
			छुट्टी और नकदीकरण	5,08,190	23,440
II. अनुदान			(ख) प्रशासनिक व्यय		
विदेश मंत्रालय से अनुदान - सामान्य	10,49,66,000	10,00,00,000	विज्ञापन व्यय	1,19,791	2,26,753
विदेश मंत्रालय से अनुदान वेतन -	1,94,00,000	2,00,00,000	लेखा परीक्षा शुल्क	2,13,990	1,17,440
विदेश मंत्रालय से अनुदान पूंजी -	1,30,00,000	-	अन्य खर्च	5,07,707	13,92,277
III. आय			प्रकाशनों की लागत	32,94,903	30,39,440
पुस्तकालय सदस्यता	24,000	14,000	बिजली और पानी के प्रभार	82,78,834	67,70,819
विविध आय	9,36,099	9,32,275	कार्यालय बीमा व्यय	91,461	1,12,148
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।	7,42,684	5,79,203	बैठक एवं सेमिनार व्यय	1,18,25,087	64,41,023
बचत खाते पर अर्जित ब्याज	6,51,604	1,70,787	एनडीएमसी संपत्ति कर	30,48,836	30,48,872
सावधि जमा पर ब्याज	19,43,289	55,895	कार्यालय के व्यय	12,13,623	24,60,274
IV. अन्य प्राप्ति			डाक एवं टेलीग्राम	2,70,951	1,33,280
सुरक्षा जमा पुस्तकालय -	1,25,600	58,800	व्यावसायिक शुल्क	3,90,69,276	3,76,23,780
विदेश मंत्रालय से प्राप्ति सीएससीएपी- प्रतिपूर्ति हवाई टिकटें	11,02,187	-	मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	34,09,624	30,61,279
अन्य अग्रिम वसूली आउटरीच आदि।-	21,21,289	3,53,029	मरम्मत एवं रखरखाव	60,09,613	74,39,466
रद्द - लौटाई गई राशि	60,001	-	सुरक्षा व्यय	28,43,933	29,98,644
आईसीएम से प्राप्ति (विलय निधि और परिपक्व हो गई एफडी)	9,17,54,647	-	टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	6,86,837	7,22,390
			यात्रा एवं वाहन	41,35,174	24,23,519
			समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	88,286	98,112
			अंशदान एवं सदस्यता व्यय	14,53,820	3,90,099
			वेबसाइट व्यय	16,65,225	9,47,893
			वेबसाइट के लिए अग्रिम	21,438	6,514
आगे ले जाया गया कुल	27,94,91,407	15,82,70,782	आगे ले जाया गया कुल	10,99,36,254	9,79,83,898

हस्ता/-
लेखा सहायकहस्ता/-
अवर सचिव

(1)

हस्ता/-
उप महानिदेशकहस्ता/-
महानिदेशक

(2)
भारतीय वैश्विक परिषद

01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए रसीदें और भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आगे लाया गया कुल	27,94,91,407	15,82,70,782	आगे लाया गया कुल	10,99,36,254	9,79,83,898
			II. अचल संपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर सहायक उपकरण	20,40,324	4,30,723
			फर्नीचर और फिक्सचर	6,88,721	15,05,064
			पुस्तकालय पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	26,35,639	27,71,910
			लाइब्रेरी आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर		—
			कार्यालय उपकरण	8,22,570	2,77,168
			लाइब्रेरी मरम्मत का चल रहा बड़ा कार्य	2,11,413	—
			III. सुरक्षा जमा/ऋण की वापसी		
			सुरक्षा जमा वापसी-लाइब्रेरी	69,600	7,800
			IV. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
			सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान	1,68,62,172	84,85,033
			परियोजनाओं के लिए उपयोग	39,10,775	20,00,000
			अनुसंधान/संगोष्ठी के लिए अनुदान	38,57,928	19,47,258
			अन्य अग्रिम		—
			रद्द किए गए चेक	6,99,918	1,97,922
			पूर्व अवधि का व्यय	14,32,141	
			आईसीएम व्यय (विलय)	4,52,65,239	
			आईसीएम एफडी -	—	—
			(क) हाथ में नकदी		
			(ख) बैंक शेष		
			i. भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाते में	1,03,93,073	1,01,676
			ii. भारतीय स्टेट बैंक जमा खाते में	8,06,60,640	65,57,330
			iii. भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाते में	—	3,60,00,000
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000.00	5,000
			डिस्पेंसर के साथ डाक अग्रदाय		
कुल	27,94,91,407	15,82,70,782	कुल	27,94,91,407	15,82,70,782

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23/06/2023

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

(2)

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

(3)
भारतीय वैश्विक परिषद
31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/ पूंजी निधि और देनदारियाँ			
कॉर्पस/ पूंजी निधि	1	3,06,90,167.00	2,69,26,966.00
निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि	2	—	—
आस्थगित आय	3	15,12,57,852.00	15,98,26,289.00
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	4	9,77,70,315.00	4,57,57,036.00
कुल		27,97,18,334.00	23,25,10,291.00
परिसंपत्तियाँ			
अचल संपत्तियाँ	5	15,14,54,872.00	16,00,74,667.00
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	6	12,82,63,462.00	7,24,35,624.00
कुल		27,97,18,334.00	23,25,10,291.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	13		
आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ	14		

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23/06/2023

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

(3)

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

4

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

(राशि रुपये में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4.4 (बी) देखिए)		11,84,56,291.00	11,95,22,343.00
सदस्यता शुल्क	7	11,547.00	12,770.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।	8	7,42,684.00	5,76,000.00
अर्जित ब्याज	9	20,44,218.00	5,51,037.00
अन्य आय	10	2,19,99,228.00	2,50,95,207.00
कुल (क)		14,32,53,968.00	14,57,57,357.00
व्यय			
स्थापना व्यय	11	2,01,58,828.00	3,01,15,735.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	12	9,02,03,270.00	8,28,96,312.00
अनुसंधान/ सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		47,49,426.00	34,81,686.00
प्रकाशनों की लागत		33,44,767.00	30,28,610.00
मूल्य हास (देखिए अनुसूची 5)		2,03,34,558.00	2,46,08,741.00
पूर्व अवधि के व्यय		6,99,918.00	1,97,922.00
कुल (ख)		13,94,90,767.00	14,43,29,006.00
शेष राशि अधिशेष होना/ (घाटा) (क-ख)		37,63,201.00	14,28,351.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	13		
आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ	14		

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23/06/2023

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

4

5

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूँजी निधि वर्ष की शुरुआत में शेष जोड़ें : कॉर्पस/ पूँजीगत निधि में योगदान जोड़ें: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित निवल आय का शेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		2,69,26,966.00		2,54,98,615.00
	37,63,201.00		14,28,351.00	
		37,63,201.00		14,28,351.00
वर्ष के अंत में शेष		3,06,90,167.00		2,69,26,966.00

अनुसूची 2 - निर्धारितबंदोबस्ती निधि/ क) निधियों का प्रारंभिक शेष ख) निधियों में परिवर्धन: दान/ अनुदान/ धनवापसी/ अंतरण निधियों के लिए किए गए निवेश से आय ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोगव्यय/ i. पूँजीगत व्यय - अचल संपत्तियां - अन्य ii. राजस्व व्यय - वेतन, मज़दूरी और भत्ते, आदि। - किराया - अन्य यात्रा एवं अन्य व्यय - iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय/ अंतर्लेखे का समायोजन	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख-ग)		
डेबिट बैलेंस (नेट) अनुसूची 6-बी में स्थानांतरित		

अनुसूची 3 - आस्थगित आय प्रारंभिक जमा जोड़िए: अवक्षयीय नियत आस्तियों और चल रहे पूँजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (नेट) घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम ऐसी परिसंपत्तियां आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित की जाती हैं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	15,98,26,289.00	16,71,48,992.00
	1,16,96,662.00	1,72,08,291.00
	2,02,65,099.00	2,45,30,994.00
कुल	15,12,57,852.00	15,98,26,289.00

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

5

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

(6)
भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के हिस्से के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 4 - वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान क. वर्तमान देनदारियां 1) विविध लेनदार 2) प्राप्त अग्रिम 3) वैधानिक दायित्व क) अतिदेय ख) अन्य 4) अन्य वर्तमान देनदारियां क) प्रतिभूति जमा ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) अनुसूची संदर्भ देखें) ग) देय वेतन एवं भत्ते घ) अन्य देनदारियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		32,93,732.00		17,17,594.00
		18,469.00		6,016.00
	8,34,616.00	-	3,48,404.00	
		8,34,616.00		3,48,404.00
	7,73,540.00		7,17,540.00	
	2,81,96,977.00		2,09,83,930.00	
	11,94,350.00		12,46,578.00	
	4,56,06,924.00		7,17,602.00	
		7,57,71,791.00		2,36,65,650.00
कुल (क)		7,99,18,608.00		2,57,37,664.00
ख प्रावधान				
भविष्यनिधि- का प्रावधान		96,62,705.00		1,13,84,718.00
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति)		81.89.002.00		86,34,654.00
कुल (ख)		1,78,51,707.00		2,00,19,372.00
कुल (क+ख)		9,77,70,315.00		4.57,57,036.00

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्र सरकार से अप्रयुक्त अनुदान प्रारंभिक शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य और वेतन) घटाएँ: "केंद्र सरकार से अनुदान" के रूप में आय और व्यय खाते में अंतरित किया गया घटाएँ : मूल्यहास योग्य अचल संपत्तियों और प्रगति में पूंजीगत कार्य के लिए उपयोग किया गया (आस्थगित आय में अंतरित) अग्रिम सहित अप्रयुक्त अनुदान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		2,09,83,930.00		3,77,14,564.00
		13,73,66,000.00		12,00,00,000.00
		15,83,49,930.00		15,77,14,564.00
		11,84,56,291.00		11,95,22,343.00
		3,98,93,639.00		3,81,92,221.00
		1,16,96,662.00		1,72,08,291.00
		2,81,96,977.00		2,09,83,930.00
कुल		2,81,96,977.00		2,09,83,930.00

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

(6)

(7)

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 -अचल संपत्तियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
	वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
स्वयं की निधि से अर्जित अचल संपत्तियाँ										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	21,85,886	67,963	-	22,53,849	6,11,681	6,79,644
2. फर्नीचर, फिक्सचर	1,88,400	-	-	1,88,400	1,83,681	473	-	1,84,154	4,246	4,719
3. पुस्तकालय पुस्तकें और जर्नल	38,967	-	-	38,967	36,409	1,023	-	37,432	1,535	2,558
उप-कुल (क)।	30,92,897	-	-	30,92,897	24,05,976	69,459	-	24,75,435	6,17,462	6,86,921
केंद्र सरकार के अनुदान से प्राप्त अचल संपत्तियाँ										
1. भवन	6,75,69,376	83,82,544	-	7,59,51,920	2,70,71,256	44,68,940	-	3,15,40,196	4,44,11,724	4,04,98,120
2. फर्नीचर, फिक्सचर	4,83,44,570	32,13,490	-	5,15,58,060	3,55,68,760	14,43,126	-	3,70,11,886	1,45,46,174	1,27,75,810
3. कार्यालय उपकरण	4,14,33,753	5,98,118	-	4,20,31,871	2,39,75,043	26,90,422	-	2,66,65,465	1,53,66,406	1,74,58,710
4. कंप्यूटर बाह्य उपकरण /	1,84,41,239	20,21,532	-	2,04,62,771	1,63,79,111	14,80,806	-	1,78,59,917	26,02,854	20,62,128
5. पुस्तकालय पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	5,80,04,055	24,71,078	-	6,04,75,133	3,81,23,122	87,48,016	-	4,68,71,138	1,36,03,995	1,98,80,933
6. लाइब्रेरी आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,59,75,714	-	-	1,59,75,714	1,49,75,178	4,00,214	-	1,53,75,392	6,00,322	10,00,536
7. विद्युत संस्थापन	3,33,25,362	2,24,452	-	3,35,49,814	2,46,86,334	8,75,125	-	2,55,61,459	79,88,355	86,39,028
8. साइकिलें और रिक्शा	36,500	-	-	36,500	17,300	2,880	-	20,180	16,320	19,200
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,57,596	-	-	10,57,596	6,68,672	1,55,570	-	8,24,242	2,33,354	3,88,924
उप-कुल (ख)	28,41,88,165	1,69,11,214	-	30,10,99,379	18,14,64,776	2,02,65,099	-	20,17,29,875	9,93,69,506	10,27,23,390
चालू वर्ष का कुल योग (क+ख)	28,72,81,062	1,69,11,214	-	30,41,92,276	18,38,70,752	2,03,34,558	-	20,42,05,310	9,99,86,968	10,34,10,311
पिछला वर्ष	28,23,76,518	53,43,087	4,38,543	28,72,81,062	15,92,62,010	2,46,08,741	-	18,38,70,751	10,34,10,311	12,31,14,508
चल रहा बड़ा कार्य									5,14,49,804	5,66,64,356
वित्त वर्ष 2021-22 में लगाया गया अतिरिक्त मूल्यहास वापस जोड़ा गया									18,100	
कुल									15,14,54,872	16,00,74,667

हस्ता/-
लेखा सहायकहस्ता/-
अवर सचिवहस्ता/-
उप महानिदेशकहस्ता/-
महानिदेशक

(7)

(8)
भारतीय वैश्विक परिषद
31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 6 - वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि। क. वर्तमान संपत्तियाँ	चालू वर्ष			पिछला वर्ष	
1. विविध देनदार		-			-
2. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		5,000.00			5,000.00
3. बैंक अधिशेष					
अनुसूचित बैंकों के साथ					
- चालू खातों में (भारतीय स्टेट बैंक)	1,03,93,073.00			1,01,676.00	
- जमा खातों में (भारतीय स्टेट बैंक)	-			3,60,00,000.00	
- बचत खातों में (भारतीय स्टेट बैंक)	8,06,60,640.00			65,57,331.00	
		9,10,53,713.00			4,26,59,007.00
कुल (क)		9,10,58,713.00			4,26,64,007.00
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ					
1. नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:					
क) पूंजी खाते पर - सीपीडब्ल्यूडी		2,99,60,858.00			2,11,21,733.00
ख) पूर्व भुगतान		30,94,198.00			30,83,793.00
ग) अन्य		41,49,693.00			50,70,949.00
2. आय अर्जित					
क) जमा खातों पर		-			4,95,142.00
कुल (ख)		3,72,04,749.00			2,97,71,617.00
कुल (क+ख)		12,82,63,462.00			7,24,35,624.00

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

(8)

(9)
भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 7 - सदस्यता शुल्क पुस्तकालय सदस्यता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	11,547.00	12,770.00
कुल	11,547.00	12,770.00

अनुसूची 8 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय। रॉयल्टी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	7,42,683.60	5,76,000.00
कुल	7,42,684.00	5,76,000.00

अनुसूची 9 - अर्जित ब्याज 1) सावधि जमा पर अनुसूचित बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के साथ 2) बचत खाते पर अनुसूचित बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के साथ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	13,92,614.00	5,51,037.00
कुल	20,44,218.00	5,51,037.00

अनुसूची 10 - अन्य आय क) आस्थगित आय से अंतरित (अनुसूची 3 देखें) ख) विविध आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2,02,65,099.00	2,45,30,994.00
कुल	2,19,99,228.00	2,50,95,207.00

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

(9)

अनुसूची 11 - स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,75,87,658.00	2,54,31,853.00
ख) बोनस	1,24,344.00	1,30,101.00
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में योगदान	13,39,355.00	13,29,625.00
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	59,000.00	60,739.00
ङ) प्रशासनिक और निरीक्षण शुल्क - आर.पी.एफ.सी.	55,726.00	55,834.00
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ (ग्रेच्युटी) पर खर्च	-	20,33,800.00
छ) चिकित्सा व्यय (वसूलियाँ का शुद्ध)	9,92,745.00	10,73,783.00
कुल	2,01,58,828.00	3,01,15,735.00

अनुसूची 12 - अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) लेखापरीक्षा शुल्क	2,13,990.00	1,17,440.00
ख) विज्ञापन व्यय	1,19,791.00	2,26,753.00
ग) बिजली और पानी	82,03,834.00	68,65,819.00
घ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	1,12,02,077.00	64,42,166.00
ङ) कार्यालय बीमा	1,12,148.00	84,020.00
च) एनडीएमसी संपत्ति कर	30,48,836.00	30,48,872.00
छ) कार्यालय का व्यय	18,82,548.00	24,16,208.00
ज) डाक शुल्क, टेलीफोन और संचार शुल्क	9,01,075.00	9,41,425.00
झ) मुद्रण और स्टेशनरी	34,61,403.00	31,41,011.00
ञ) व्यावसायिक और अन्य जनशक्ति किराया शुल्क	3,97,58,932.00	3,83,66,888.00
ट) मरम्मत और रखरखाव	93,69,010.00	1,06,09,337.00
ठ) सुरक्षा व्यय	31,15,882.00	33,05,352.00
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	44,34,353.00	26,18,144.00
ढ) अन्य व्यय	7,19,084.00	12,14,623.00
ण) समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएँ	89,724.00	1,09,013.00
त) सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क	13,66,135.00	6,79,706.00
थ) वेबसाइट व्यय	22,04,448.00	27,09,535.00
कुल	9,02,03,270.00	8,28,96,312.00

हस्ता/-
लेखा सहायकहस्ता/-
अवर सचिवहस्ता/-
उप महानिदेशकहस्ता/-
महानिदेशक

अनुसूची 13 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन के सिद्धांत

खाते ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर और आम तौर पर सीएससीएपी अनुदान और उसके उपयोग के मामले को छोड़कर लेखांकन की संचय पद्धति पर तैयार किए जाते हैं, जिनका हिसाब नकद आधार पर किया जाता है।

2. अचल संपत्ति और मूल्यहास

2.1 अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया जाता है जिसमें अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

2.2 अचल संपत्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यहास को घटाकर लागत पर किया जाता है। अचल संपत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास दरों पर लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

भवन	10%
पुस्तकालय की पुस्तकें और पत्रिकाएँ	40%
फर्नीचर और फिक्चर	10%
कार्यालय उपकरण	15%
कंप्यूटर सहायक उपकरण	40%
विद्युत प्रतिष्ठान	10%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणालियाँ	15%

समीक्षाधीन वर्ष के 1 अक्टूबर को या उसके बाद खरीदी गई और उपयोग में लाई गई संपत्तियों पर उस वर्ष के दौरान ऊपर बताई गई दरों के 50% पर मूल्यहास किया जाता है।

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

3. राजस्व मान्यता

- 3.1 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदान/योगदान को प्रारंभ में एक देयता के रूप में माना जाता है और एक वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्यय के लिए समायोजित किया जाता है।
- 3.2 मूल्यहास योग्य संपत्तियों के लिए उपयोग की जाने वाली सीमा तक अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।
- 3.3 आम तौर पर, राजस्व व्यय के लिए एक वर्ष के दौरान उपयोग की गई सीमा तक अनुदान को वर्ष की आय माना जाता है।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित लेन-देन का लेखा-जोखा लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विदेश मंत्रालय की आधिकारिक विनिमय दर (ओआरई) पर किया जाता है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

भविष्य निधि में नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान ईपीएफओ में स्थानांतरित किया जाता है।

ग्रेच्युटी के प्रावधान की गणना इस धारणा पर की जाती है कि लेखांकन वर्ष के अंत में सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है। ग्रेच्युटी की इतनी राशि राजस्व में जोड़ी जाती है।

अवकाश नकदीकरण के प्रावधान की गणना मूल वेतन के आधार पर नकदीकरण के लिए पात्र अवकाश शेष पर की जाती है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23/06/2023

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों की अनुसूचियां

अनुसूची 14 - आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ

1. अनुसूची 14 - आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ:

क) श्री एच एस चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक 9-4-1995 से 31-3-2004 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। उनके द्वारा दायर मामले में, श्रम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वह 1-4-1995 से 26-9-2001 की अवधि के लिए परिणामी राहत के साथ पूर्ण वेतन के हकदार हैं। आईसीडब्ल्यू ने श्रम न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के निर्देश पर, आईसीडब्ल्यू ने अप्रैल, 1995 से दिसंबर, 2004 की अवधि के लिए वेतन के 50% के रूप में न्यायालय में 1,01,205.00 रुपये जमा किये, जिसे तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। उच्च न्यायालय ने 1.2.1997 से 26.9.2001 की अवधि के लिए बकाया वेतन देने के श्रम न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन 1.4.1995 से 31.1.1997 की अवधि के लिए बकाया वेतन के भुगतान के लिए श्रम न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखा। 1.4.1995 से 31.1.1997 तक की अवधि के लिए वेतन राशि 38,060.00 रुपये है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री एच.एस. चड्ढा द्वारा दायर रिट याचिका लंबित है। परिषद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करेगी।

ख) आईसीडब्ल्यू के विरुद्ध अन्य अदालती मामलों के संबंध में देयता, यदि कोई हो, - शून्य।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं - अग्रिमों का निवल - शून्य

3. इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी की स्थापना 1943 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स अध्यादेश 2000 (2000 का 3) जारी किया, जिसके तहत परिषद का प्रबंधन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अध्यादेश को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियमन द्वारा आगे विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) से अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
4. परिषद को दुनिया भर में आयोजित विभिन्न सीएससीएपी बैठकों और अन्य परियोजना विशिष्ट अनुदानों में सीएससीएपी - भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त होता है। परिषद केवल अनुदानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है अर्थात् अनुदान की प्राप्ति और प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरी के अनुसार उसका उपयोग। परिषद का मानना है कि परियोजना विशिष्ट लेनदेन का परिषद के अधिशेष/घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए इसका हिसाब नकद आधार पर किया जाता है।

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

5. पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत या पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
6. अंतिम खातों के आँकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।
7. सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पूर्व पिछले प्रबंधन द्वारा धारित सभी अचल संपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाला अचल संपत्तियों का रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। इस रिकॉर्ड के साथ-साथ किसी भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के बिना, वर्तमान प्रबंधन खातों की पुस्तकों में विसंगतियों को हल करने में सक्षम नहीं होगा।
8. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्तमान प्रबंधन की पट्टे के किराए के कारण कोई देयता नहीं है। यदि भूमि की लागत भवन की लागत (स्वयं की निधि) का हिस्सा है, तो भवन पर लगाया गया मूल्यहास आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23/06/2023

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
अवर सचिव

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

(15)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय वैश्विक परिषद के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, भारतीय वैश्विक परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 20(2) के साथ पठित, 31 मार्च 2023 तक भारतीय वैश्विक परिषद का संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता/प्राप्तियाँ और भुगतान खाते का ऑडिट किया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय वैश्विक परिषद प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपने ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा सिद्धांतों के अनुरूपता, लेखा मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखा व्यवहार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं।

3. लेखा परीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और ऑडिट करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण सामग्री गलत विवरणों से मुक्त हैं या नहीं। एक ऑडिट में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले सबूतों की जांच करना शामिल है। एक ऑडिट में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा ऑडिट हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. अपने ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
- ii इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii रिपोर्ट की हमारी जांच के अनुसार, भारतीय वैश्विक परिषद ने अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) के अनुसार आवश्यक खातों की उचित किताबें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज तैयार किए हैं।

iv हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सामान्य

क.1 मंत्रालय के आदेश के अनुसार, भारत प्रवासन केंद्र (आईसीएम) को 01.08.2022 से आईसीडब्ल्यूए के साथ विलय कर दिया गया था और इस प्रकार, आईसीएम के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण को आईसीडब्ल्यूए को स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन यह देखा गया कि 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 (विलय की तारीख तक) की अवधि के लिए आईसीएम के वार्षिक खातों को आईसीडब्ल्यूए के खातों के साथ विलय नहीं किया गया था।

क.2 परिषद ने खातों के समान प्रारूप के साथ-साथ आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 13 में निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं किया था। बीमांकिक मूल्यांकन के अभाव में, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए 1.79 करोड़ रुपये के प्रावधान की पर्याप्तता का आकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

ख. अनुदान सहायता

परिषद को मुख्य रूप से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अनुदान सहायता द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। पिछले वर्ष से 2.10 करोड़ रुपये (अग्रिम सहित) का अनुदान खर्च नहीं हुआ था और परिषद को वर्ष 2022-23 के दौरान 13.74 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें से आईसीडब्ल्यूए 13.02 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर सका और शेष 2.82 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान शेष रह गया।

(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट और आय और व्यय खाता/प्राप्ति और भुगतान खाता बही-खातों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरणों, लेखांकन नीतियों और खातों पर नोट्स के आधार पर, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों के अधीन और इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य मामले भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक यह 31 मार्च 2023 तक भारतीय वैश्विक परिषद के मामलों की स्थिति तुलन-पत्र से संबंधित है और

ख. जहां तक यह 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

हस्ता

भारत के सीएजी के लिए और उनकी ओर से

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

(18)

अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली:**

विदेश मंत्रालय के पीआर सीसीए के कार्यालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी। पिछली आंतरिक लेखा परीक्षा 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए पीआर सीसीए, विदेश मंत्रालय के कार्यालय द्वारा 05.09.2022 से 09.09.2022 तक आयोजित की गई थी।

2. **अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:**

परिषद ने अपने उत्तर में कहा कि अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया था:

क्र.सं.	संपत्ति रजिस्टर	भौतिक सत्यापन की तारीख
1.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर, भवन, विद्युत स्थापना, साइकिल और रिकशा और जल आपूर्ति प्रणालियाँ (केवल अनुदान से)	09.04.2023
2.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	20.07.2023
3.	कंप्यूटर/पेरिफेरल्स, लाइब्रेरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर	08.05.2023

3. **इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

जैसा कि नीचे बताया गया है, इन्वेंटरी आइटम का भौतिक सत्यापन किया गया था:

क्र.सं.	स्टॉक/इन्वेंटरी रजिस्टर	भौतिक सत्यापन की तारीख
1.	सफाई सामग्री और रखरखाव/अनुभाग उपभोग्य वस्तुएं	12.01.2023
2.	आईटी उपभोग्य वस्तुएं और अन्य आईटी संबंधित सामग्रियां	08.05.2023
3.	लेखन सामग्री	07.07.2022
4.	प्रकाशन	20.07.2023

4. **वैधानिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता: -**

31/03/2023 तक छह महीने से अधिक की कोई वैधानिक देनदारी बकाया नहीं थी।

हस्ता
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ईए)

नोट : प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित लेखापरीक्षा रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक लेखा ही मान्य होगी।